शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जुलाई 2014

# शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति पालकों की जागरूकता का अध्ययन

*डॉ.राघवेन्द्र कुमार हुरमाडे
नवनीत सिंह (शोधार्थी)
*व्याख्याता, शिक्षा अध्ययनशाला
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश, भारत

## शोध संक्षेप

*प्रस्तुत शोध के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति पालकों की जागरूकता का अध्ययन किया गया है। शोध के लिए इंदौर शहर के पालदा, विष्णुपुरी, इन्द्रपुरी, खण्डवा नाका व नवलखा क्षेत्रों से महिला व पुरूष पालकों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया। अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में लगभग 40 पालकों का चयन किया गया जो कि सामाजिक- आर्थिक पृष्ठभूमि, उम्र, जाति व शैक्षणिक योग्यता से भिन्न-भिन्न थे। प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों के संकलन के लिए शोधार्थी द्वारा विकसित 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : साक्षात्कार अनुसूची' का निर्माण स्वयं शोधार्थी द्वारा किया गया था। प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत का उपयोग किया गया।*

## प्रस्तावना

जीवन के हर कदम पर हमें किसी न किसी रूप में शिक्षा की आवश्यकता होती है। हम जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त जो कुछ भी सीखते हैं या अनुभव करते हैं, व्यवहार करते हैं, यह सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति पालकों की जागरूकता का अध्ययन'' के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया गया है कि, शिक्षा के अधिनियम के प्रति पालकों में कितनी जागरूकता है। यह आवश्यक भी हैं, क्योंकि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कक्षा एक से कक्षा आठवीं तक की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा हेतु लागू किया गया है। किसी भी देश का पालक, उस देश की शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। देश की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के प्रति पालकों की अभिवृत्ति कैसी है ?, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अपनी शक्तियों व कर्तव्य का ज्ञान है या नहीं ? यह ज्ञात होना चाहिए। यह शोध इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा ही शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तम्भ है।

## औचित्य

वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मात्र एक अधिनियम बनकर रह गया है। जैसा कि इस अधिनियम में कक्षा 1 से लेकर 8 तक, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। लेकिन वास्तव में गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी तरह से नहीं दी जा रही है। गरीब वर्ग बड़े-बड़े मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलवाने के लिए दिन-रात प्रयत्न करता है। लेकिन फिर भी उसके बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाता है। गरीब

बच्चों को स्कूलों में प्रवेश लाटरी से मिल रहा है। वह पूरी तरह लाटरी सिस्टम पर ही निर्भर हो गया है। उसके बच्चों को इस प्रणाली के तहत प्रवेश मिल भी जाता है तो, वहाँ उसे अन्य सुविधाओं जैसे बस सुविधा आदि से वंचित रखा जाता है। उन्हें अपने बच्चों को स्वयं विद्यालय पहुंचाना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जितनी गंभीरता व तत्परता से सरकारी विद्यालयों पर लागू होता है, उतना निजी विद्यालयों पर नहीं।

आज भी हमारे देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता का अभाव है। क्योंकि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और गांवों में योजनाओं के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी समय पर नहीं पहुँच पाती है। यदि जानकारी पहुँच भी जाती है, तो ग्रामीण इतने जागरूक नहीं होते कि वे शिक्षा की इन योजनाओं का उचित लाभ ले सकें। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति स्वयं के अधिकारों, संवैधानिक प्रावधानों और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रख पाता है। इसलिए ग्रामीण और निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए उन योजनाओं का कोई महत्व नहीं है और उन योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। वे केवल योजना बनकर रह जाती है। सेठ (1981) ने औपचारिकेत्तर शिक्षा और सामुदायिक विकास पद्धति का विश्लेषण किया। सिंह (1983) ने भारत के प्राकृतिक, ऐतिहासिक संग्रहालयों का औपचारिकेत्तर शिक्षा के माध्यम से अध्ययन करना, साथ ही प्रर्दशकों की प्रभाविता का विद्यालयीन बच्चों में वैज्ञानिक मनःस्थिति के संदर्भ में अध्ययन किया। शुक्ला (1985) ने औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की अनुदेशन सामग्री का मूल्यांकन किया। यादव (1987) ने ग्रामीण विद्यालयों में छात्राओं के मध्यशाला त्यागने के कारणों तथा उनके विस्तार का अध्ययन किया। रे (1989) ने उड़ीसा के कटक जिले के कक्षा 5 से 10 तक में छात्राओं द्वारा शाला त्यागने संबंधी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया। एस.आई.ई. (1990) ने हरियाणा के करनाल में प्राथमिक शाला स्तर पर शैक्षिक अपव्यय का अध्ययन किया। बुच एवं सुदामे (1990) ने गुजरात राज्य के शहरी क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा पर गहन शोध किया। बत्रा (1991) ने मध्यप्रदेश राज्य के बैतूल जिले के अध्ययन में शाला भवनों की दयनीय दशा तथा शिक्षक सहायक सामग्री के अभाव को रेखांकित किया। हसन (1992) ने ग्रामीण शालाओं में भौतिक संसाधनों का अध्ययन किया। रूसिया (1993) ने जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत शिक्षा के लोक व्यापीकरण की सूक्ष्य योजना पर कार्य किया। गौरानी (1998), त्रिपाठी (2004), अग्नियोज (2006) ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन के कारणों का निदानात्मक अध्ययन किया। अवस्थी (2006) द्वारा ''स्कूल चले हम'' अभियान 2005 का प्राथमिक स्तर पर प्रभाव का अध्ययन किया। बोरीवाल (2011) ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन इन्दौर जिले के शासकीय विद्यालयों के संदर्भ में किया।

उपर्युक्त शोध के सूक्ष्म अध्ययन से विदित होता है कि अभी तक औपचारिकेत्तर शिक्षा, सामुदायिक विकास पद्धति भारत के प्राकृतिक, औपचारिकेतर शिक्षा पर अनुदेशन सामग्री, ग्रामीण विद्यालयों में शाला त्यागने का कारण, मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के शाला भवनों की दयनीय स्थिति, भौतिक

संसाधनों, शिक्षा का लोकव्यापीकरण, हरियाणा के प्राथमिक शाला स्तर पर शैक्षिक अपव्यय और अवरोधन के कारणों का निदानात्मक अध्ययन, स्कूल चले हम अभियान(2005) का अध्ययन व शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं आदि पर कई शोध कार्य हो चुके हैं, किन्तु "शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति पालकों की जागरूकता" शीर्षक पर शोध कार्य शोधकर्ताओं द्वारा नहीं पाया गया। अतः "शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति पालकों की जागरूकता" नामक शीर्षक पर शोध कार्य की आवश्यकता प्रतिपादित हुई।

## समस्या कथन

प्रस्तुत अध्ययन की समस्या निम्न थी-

"शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति पालकों की जागरूकता का अध्ययन"

## उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य निम्न था-

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति पालकों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करना।

## न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में इन्दौर के पालदा, विष्णुपुरी, इन्द्रपुरी, खण्डवा नाका व नवलखा क्षेत्रों से महिला व पुरूष पालकों का चयन सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्श तकनीक द्वारा किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में लगभग 40 पालकों का चयन किया गया था जिनमें सामाजिक- आर्थिक पृष्ठभूमि, उम्र, जाति व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भिन्नता थी।

## उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : साक्षात्कार अनुसूची' का उपयोग किया गया। अनुसूची में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' का लाभ क्या पालक व विद्यार्थी उठा पा रहे है। क्या यह अधिनियम ठीक तरीके से लागू हुआ है, इसका पता लगाने के लिए व पालकों के मत जानने के लिए शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया। जिसमें 12 प्रश्नों का निर्माण किया गया। ये प्रश्न खुले प्रकार के प्रश्न थे। जिसमें उत्तरदाता अपने अनुसार उत्तर देने में सक्षम था।

## प्रदत्त संकलन की विधि

प्रदत्तों का संकलन निम्न सोपानों के अन्तर्गत किया गया:

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्त संकलन हेतु सर्वप्रथम न्यादर्श के रूप में सोद्देश्यपूर्णरूप से चयनित क्षेत्रों के पालकों से मिलकर अध्ययन के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन केवल एम.फिल. पाठ्यक्रम की पूर्ति हेतु किया जा रहा है तथा शोध के परिणामों को गोपनीय रखा जाएगा। अनुमति के पश्चात् पालकों से ' साक्षात्कार अनुसूची' भरवाई गई व प्राप्त फलांकों को नोट कर लिया गया।

## प्रदत्त विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्यों के अनुसार प्रदत्त विश्लेषण निम्न प्रकार से किया गया-

1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति पालकों के साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी का विष्लेषण करने के लिए प्रतिशत का उपयोग किया गया।

## निष्कर्ष

शोध अध्ययन में प्रदत्त विश्लेषण के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए-

## निष्कर्ष

शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर उद्देश्यानुसार निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए-

1. निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले पालकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में किसी भी जानकारी का होना नहीं पाया गया, उन्हें आधारभूत जानकारी भी नहीं थी, जबकि मध्यम वर्ग के पालकों को थोड़ी जानकारी थी।

2. निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले पालक अपने बालकों को शासकीय विद्यालयों में भेजते हैं, जबकि मध्यम वर्ग वाले पालक अपने बालकों को अशासकीय विद्यालयों में भेजते हैं।

3. 80 प्रतिशत गरीब पालकों से कोई शुल्क नहीं लिया गया व 20 प्रतिशत गरीब पालकों से शुल्क लेना पाया गया, जबकि 100 प्रतिशत मध्यम वर्ग के पालकों सें शुल्क लेना पाया गया।

4 50 प्रतिशत गरीब पालकों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी नहीं होना पाया गया। 50 प्रतिशत गरीब पालकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना पाया गया, जबकि 100 प्रतिशत मध्यम वर्गीय पालकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना पाया गया।

5. 80 प्रतिशत गरीब पालकों को पाठ्य पुस्तकें व यूनिफार्म निःशुल्क दी जाना पाया गया। 20 प्रतिशत गरीब पालकों को पाठ्य पुस्तकें व यूनिफार्म निःशुल्क नहीं दी जाना पाया गया, जबकि 86 प्रतिशत मध्यम वर्गीय पालकों को पाठ्य पुस्तकें व यूनिफार्म निःशुल्क नहीं दी जाना पाया गया व 14 प्रतिशत मध्यम वर्गीय पालकों को पाठ्य पुस्तकें व यूनिफार्म निःशुल्क दी जाना पाया गया।

6. 10 प्रतिशत पालकों के बालकों के विद्यालयों मे निशक्तजन बालकों का अध्ययन करना पाया गया, जबकि 35 प्रतिशत ने कहा हमें पता ही नहीं और 55 प्रतिशत पालकों ने कहा कि नहीं पढ़ते हैं।

7. 25 प्रतिशत पालकों के बालकों का विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास प्रायवेट ट्यूशन जाना पाया गया। जबकि 75 प्रतिशत पालकों के बालकों का विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास प्रायवेट ट्यूशन नहीं जाना पाया गया।

## संदर्भ ग्रन्थ

*1 भारत का राजपत्र, 2010, नई दिल्ली.*

*2 भारत का राजपत्र, 2009, नई दिल्ली.*

*3 एन.सी.ई.आर.टी.: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नई दिल्ली, 2006.*

*4 बोरीवाल, आर.: निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध प्रबंध, शिक्षा अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2011.*

*5 मुद्गल, पी.: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' के प्रति शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं और पालकों की जागरूकता का अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध प्रबंधन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2012.*

*6 सिघंवी, पी.सी.:निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2012.*

*7 सुरोलिया, वी.के.: बाल शिक्षा का अधिकार, साहित्यगार, जयपुर, 2011.*